राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3901/2025

ओमप्रकाश शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय, दौसा।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.08.2025
आदेश की दिनांक : 19.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक, सामान्य के पद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड–III के पद पर दिनांक 30.12.1979 (अनुलग्नक–2) के द्वारा नियुक्त दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 13.01.1980 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 16.05.1980 से दिनांक 30.06.1980 तक के ग्रीष्मावकाश के वेतन की स्वीकृति भी जारी की गई, जो अपीलार्थी को प्राप्त हो गया। अपीलार्थी को वर्ष 1998 में वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की 18 वर्षीय सेवा दिनांक 13.01.1998 को पूर्ण हो जाती है। परन्तु विभाग ने अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 2006 दिया गया तथा अपीलार्थी की 27 वर्षीय सेवा दिनांक 13.01.2007 को पूर्ण हो जाती है, जिसका लाभ दिनांक 01.07.2007 से अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.12.2013 (अनुलग्नक–5) के द्वारा दिया गया। उसके पश्चात् अपीलार्थी राजकीय सेवा से दिनांक 31.08.2014 को सेवानिवृत हो गया। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की सेवाओं की गणना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार प्रथम नियुक्ति दिनांक से 9, 18 एवं 27 वर्षीय लाभ नहीं दिया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग ने

अपीलार्थी की सेवाओं को दिनांक 01.07.1980 से सेवाओं की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। उसी के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान 1983, 1989, 1996, 2006 एवं 2017 के परिलाभ दिये गये। जबकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़, पचवारा ने दिनांक 30.08.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 1983, 1987–1989 का निर्धारण करने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया। जिसका उल्लेख सर्विस बुक में भी है। किन्तु पुनरीक्षित वेतनमान 1996, 2006 व 2017 में आज तक फिक्सेशन किया गया है और ना ही अपीलार्थी को एरियर एवं संशोधित पेंशन परिलाभ प्राप्त हुआ है। उक्तानुसार अपीलार्थी का पुनरीक्षित वेतनमानों में फिक्सेशन नहीं किया गया। जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 30.04.2024 को संशोधित वेतनमान निर्धारण हेतु प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ पचवारा ने प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रेषित किया, परन्तु अपीलार्थी को उसके पश्चात् ना तो चयनित वेतनमान संशोधित वेतन किये गये और ना ही पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ दिया गया। अपीलार्थी को आज तक उक्त लाभ नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को ग्रीष्मावकाश का वेतन भी देशने के आदेश जारी किये। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान 9, 18 एवं 27 वर्षीय एसीपी का लाभ नहीं दिया गया तथा उसी के अनुसार ना तो वार्षिक वेतन वृद्धियां दी गई और ना ही पुनरीक्षित वेतनमानों मे फिक्सेशन किया गया। राजस्थान सेवा पेंशन नियम–1996 की धारा–89 के अनुसार यदि सेवानिवृत्ति लाभों को विलम्ब से भुगतान किया जाता है तो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ देय होने की तारीख से उस माह जिसमें सेवानिवृत्त लाभ प्राधिकृत किये गये है, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने सेवानिवृत्ति के बाद भी फिक्सेशन में संशोधन कर एरियर व संशोधित पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया, जो घोर लापरवाही का प्रतीक है तथा अपीलार्थी को अपने अधिकारों से वंचित किया गया। जिसके लिए प्रत्यर्थी विभाग जिम्मेदार है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक 13.01.1980 से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिया जावे तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही वार्षिक वेतन वृद्धियां दी जावें पुनरीक्षित वेतनमान 5वें, 6वें एवं 7वें पुनरीक्षित वेतनमान में फिक्सेशन कर बकाया एरियर राशि मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित दिलाया जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य(न्यायिक)